



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्रमांक/आई डी एस पी./2020/328

भोपाल, दिनांक 29/03/2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता,

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर, खण्डवा, रतलाम, छिन्दवाडा, विदिशा, दतिया शिवपुरी एव शहडोल, म.प्र।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।

3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।

विषय:- कोविड-19 संक्रमण पाये गये मरीजों के उपचार के संबंध में।


संदर्भ:- पत्र क्रमांक/अ.प्रशा./2020/510, दिनांक 28.03.2020 (संज्ञा)

विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु यह अति आवश्यक है कि प्रदेश के किसी भी शासकीय/निजी चिकित्सालय में उपचाररत किसी भी रोग/संक्रमण से पीड़ित मरीज के परीक्षण उपरान्त कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने की स्थिति में इन श्रेणी के मरीजों को तत्काल रूप से संबंधित जिलों के कोविड-19 संक्रमण के उपचार हेतु चिन्हांकित चिकित्सालयों में संक्रमण प्रोटोकॉल का पालन करते हुये तत्काल स्थानांतरण किया जावे, जहाँ उनका समुचित उपचार किया जा सके।

यहां यह भी अति महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव लेब परिणाम आने की स्थिति में संबंधित रोगी का पूर्णरूपेण तथा व्यापक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सूक्ष्म रूप से किया जावे तथा ऐसे रोगियों (जो कि परीक्षण के पश्चात् आने के पूर्व सामान्य रोगियों के रूप में उपचारित थे) के साथ में शासकीय/निजी चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों एव उपचार में सलग्न समस्त चिकित्सक/सह-चिकित्सीय तथा सपोर्टिंग स्टॉफ का भी प्रोटोकॉल अनुरूप परीक्षण तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाये।

आप सहमत होंगे कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अभाव में चिकित्सालयों द्वारा संक्रमण का फैलाव अति संभाव्य है। कृपया इस हेतु तत्काल आवश्यक निर्देश एव इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

  
29.3.2020  
(डॉ. मोहन सिंह)

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 03/2020

पृ क्रमांक/आई डी एस पी./2020/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
6. मिशन संचालक एनएचएम, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, सभागीय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश।



संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश